

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकारसे प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.499]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/अश्विन 3, 1936

No.499]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 689(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 7 मई, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 6 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) में पृष्ठ 3 पर पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए।

“ बशर्ते कि इस संबंध में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व फिल्म निर्माता एवं सिने कामगार दोनों के पक्ष सुने जाएंगे।”

[फा.सं.एस-65011/04/-2009-एसएस-II]

अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

“पाद टिप्पण”:-दिनांक 2 सितम्बर, 1952 का.नि.आ संख्या 1509 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 22 अगस्त, 2014 के सा.का.नि. 608(अ) के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th September, 2014

G.S.R. 689 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment number G.S.R. 320(E), dated the 6th May, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 7th May, 2014, on page 3, after line 14, insert—

“Provided that both the film producer and the Cine-Worker shall be heard before passing final order in the matter.”

[F. No. S-65011/04/2009 SS-II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

“Foot Note”:— The Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was last amended *vide* number G.S.R. 608 (E), dated the 22nd August, 2014.